

श्री संजय गोयल, प्रवक्ता गणित, राजकीय पॉलिटैक्निक महाविद्यालय, अजमेर का राज्य सेवा में रहते हुए दिनांक 28.06.2023 को निधन हो जाने के फलस्वरूप इनकी पुत्री सुश्री शताक्षी गायेल जन्म तिथि 30.09.2003 (तीस सितम्बर दो हजार तीन) सामान्य श्रेणी को राजस्थान मृत सरकारी कर्मचारियों के आश्रितों के अनुकम्पात्मक नियुक्ति नियम—1996 के प्रावधानानुसार राजकीय पॉलिटैक्निक महाविद्यालय, सीकर में कनिष्ठ सहायक के रिक्त पद पर कार्यग्रहण करने की तिथि से दो वर्ष की परिवीक्षा के अधीन कार्मिक (क-2) विभाग, जयपुर की अधिसूचना संख्या 7(2) डीओपी/ए-11/2005 दिनांक 20.01.2006 एवं वित्त विभाग, जयपुर की अधिसूचना एफ 15(1) एफडी/नियम/2017 दिनांक 30.10.2017 राजस्थान सिविल सर्विस (रिवाइज्ड—पे) नियम, 2017 संदर्भ—4 (नियम 16) के अनुसार एक मुश्त रूपये 14600/- (अक्षरे रूपये चौदह हजार छ़ौ मात्र) प्रति माह पर निम्न शर्तों के अधीन नियुक्ति प्रदान की जाती है :—

1. उक्त नियमों के नियम 9 (i) के अनुसार संबंधित सेवा नियम में अंकित यथाविहित कम्प्यूटर योग्यता परीवीक्षाकाल में उत्तीर्ण करनी होगी, इसमें विफल होने पर परीवीक्षा को बढ़ाया हुआ समझा जायेगा जब तक कि नियुक्ति प्राधिकारी अभ्यर्थी का कार्य पूर्णतः असंतोषजनक पाये जाने पर सेवाओं को समाप्त न कर दें।
2. उक्त नियमों के नियम 9 (ii) के अनुसार इन्हें तीन वर्ष के भीतर भाषा विभाग, जयपुर द्वारा आयोजित की जाने वाली कम्प्यूटर टंकण परीक्षा उत्तीर्ण करनी होगी अन्यथा उक्त नियुक्ति समाप्त होने के दायित्वाधीन होगी। जब तक अहंता अर्जित नहीं की जाती तब तक इन्हें कोई वार्षिक वेतनवृद्धि अनुज्ञेय नहीं होगी। ऐसी अहंता अर्जित कर लेने पर इन्हें नियमानुसार देय वेतनवृद्धि परिवीक्षा काल समाप्त होने के पश्चात् की तिथि से वास्तविक/काल्पनिक रूप से अनुज्ञात की जायेगी, किन्तु कोई बकाया संदत्त नहीं की जायेगी।
3. उपरोक्त अभ्यर्थी को दिनांक 25.01.2024 तक अपने पद का कार्यभार सम्भालना होगा। निर्धारित अवधि में कार्यभार नहीं संभालने की स्थिति में नियुक्ति आदेश निरस्त करने की कार्यवाही की जायेगी।
4. अभ्यर्थी को कार्यभार ग्रहण करने से पूर्व नियत वेतन (Fix Pay) पर कार्य करने की अपनी सहमति लिखित रूप में प्रस्तुत करनी होगी।
5. अभ्यर्थी की नियुक्ति तिथि कनिष्ठ सहायक पद पर कार्यग्रहण की तिथि से मान्य होगी।
6. परीवीक्षाधीन अवधि के दौरान कार्मिक (क-2) विभाग, जयपुर की अधिसूचना संख्या 7(2)डीओपी/ए-11/2005 दिनांक 20.1.2006 एवं वित्त विभाग, जयपुर की अधिसूचना प.12(6)वित्त/नियम/2006 दिनांक 13.3.2006, प. 6(6)वित्त/नियम/05 दिनांक 13.3.2006, प.1(2)वित्त/नियम/2006 दिनांक 13.3.2006, प. 13(1) वित्त/नियम/2003 दिनांक 13.3.2006, वित्त विभाग की अधिसूचना एफ15(1)एफडी/नियम/2017 दिनांक 30.10.2017 राजस्थान सिविल सर्विस (संशोधित वेतनमान) नियम, 2017 के नियम 16 व परिशिष्ठ -4 के अन्तर्गत नियत पारिश्रमिक (Fixed Remuneration) के हकदार होगे इसके अतिरिक्त अन्य भत्ते यथा—मकान किराया भत्ता, मंहगाई भत्ता, शहरी क्षतिपूर्ति भत्ता, विशेष भत्ता इत्यादि देय नहीं होंगे।
7. परीवीक्षाधीन अवधि में कोई वार्षिक वेतन वृद्धि देय नहीं होगी।
8. उक्त नियमों के नियम एवं राज्य सरकार की अधिसूचना क्रमांक एफ—5(51)डीओपी/ए-11 दिनांक 27.02.2001 के प्रावधानानुसार अभ्यर्थी द्वारा मृतक के अन्य आश्रितों के भरण—पोषण न करने पर आवश्यक कार्यवाही पश्चात् इनकी नियुक्ति समाप्ति के अध्याधीन होगी।

9. यदि अभ्यर्थी का कार्य एवं आचरण परीक्षा अवधि में कभी भी अथवा परीक्षाकाल की समाप्ति पर सन्तोषप्रद नहीं पाया गया तो बिना किसी क्षतिपूर्ति के सेवा से किसी भी समय विमुक्त किया जा सकेगा।
10. यह नियुक्ति पूर्णतया: अस्थाई आधार पर है, परन्तु राज्य सरकार इनके कार्य एवं आचरण की रिपोर्ट के आधार पर एवं अन्य रूप से स्थाईकरण के लिये उपयुक्त समझे जाने की दशा में जब कभी भी स्थाई रिक्त पद उपलब्ध होंगे, इनको कनिष्ठ सहायक के पद पर राजस्थान अधीनस्थ कार्यालय मंत्रालयिक सेवा नियम, 1999 के नियमों के अन्तर्गत स्थाई आधार पर नियुक्ति कर सकेगी।
11. परीक्षा प्रशिक्षण अवधि में अन्य सुविधा या अवकाश आदि राजस्थान सेवा नियमों में संशोधित प्रावधानों के अनुसार देय होंगे।
12. यदि किसी अभ्यर्थी के दस्तावेजों में कोई कभी अथवा दस्तावेज फर्जी पाये जाते हैं तो राज्य सरकार इनकी सेवाएँ तत्काल समाप्त कर सकेगी।
13. अभ्यर्थी की जन्म तिथि उनके द्वारा प्रस्तुत सैकेण्डरी परीक्षा उर्त्तीण करने के मूल प्रमाण पत्र के आधार पर अंकित की गई है। अंकित की गई जन्म तिथि अपरिवर्तनीय होगी।
14. अभ्यर्थी को अपना पद भार ग्रहण करने से पूर्व शैक्षणिक योग्यता संबंधी समस्त दस्तावेज एवं राजकीय चिकित्सालय के मेडिकल ज्यूरिष्ट/सक्षम चिकित्सा अधिकारी से स्वास्थ्य प्रमाण—पत्र प्राप्त कर प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा।
15. अभ्यर्थी द्वारा राजपत्रित अधिकारियों द्वारा सत्यापित एवं मुद्रित दो चरित्र प्रमाण पत्र एवं रूपये 50/- के नॉन ज्यूडिशियल स्टाम्प पेपर पर अभ्यर्थी सुश्री शताक्षी गायेल द्वारा निम्नानुसार शपथ पत्र प्रस्तुत करना होगा :—

“मैं शताक्षी गायेल शपथपूर्वक बयान करता/करती हूँ कि मेरे पिता स्व० श्री संजय गोयल, भूतपूर्व प्रवक्ता गणित, राजकीय पॉलिटैक्निक महाविद्यालय, अजमेर के परिवार का कोई भी सदस्य केन्द्र या राज्य सरकार अथवा केन्द्र या राज्य सरकार के कानूनी बोर्ड, संगठन, निगम जो पूर्णतः या भागतः केन्द्र/राज्य सरकार के स्वामित्व या नियन्त्रण में हो के अधीन सरकारी कर्मचारी की मृत्यु के समय व आदिनांक तक नियमित आधार पर पहले से नियोजित नहीं है।”
16. परीक्षा प्रशिक्षण अवधि में सन्तोषजनक सेवा पूर्ण करने के उपरान्त ही इनका वेतन निर्धारण कनिष्ठ सहायक पद के वेतनमान L-5 20800—65900 में करते हुए नियमानुसार अतिरिक्त भत्ते देय होंगे।
17. सुश्री शताक्षी गोयल, पुत्री स्व० श्री संजय गोयल की नियुक्ति हेतु निम्न मूल दस्तावेज संलग्न कर मिजवाये जा रहे हैं :—
 1. पुलिस सत्यापन प्रमाण पत्र
 2. रूपये 50/- के नॉन ज्यूडिशियल स्टाम्प पेपर पर धुम्रपान/ गुटखा बीड़ी, मदीरा पान न करने का प्रमाण पत्र।
 3. रूपये 50/- के नॉन ज्यूडिशियल स्टाम्प पेपर पर संविधान के प्रति निष्ठा का प्रमाण पत्र।
 4. रूपये 50/- के नॉन ज्यूडिशियल स्टाम्प पेपर पर दहेज न लिये जाने का प्रमाण पत्र।
 5. रूपये 50/- के नॉन ज्यूडिशियल स्टाम्प पेपर पर विवाह/ संतान संबंधी प्रमाण पत्र।
18. अभ्यर्थी को कार्यभार संभालने हेतु किसी प्रकार का यात्रा भत्ता देय नहीं होगा।
उपरोक्त के अतिरिक्त राज्य सरकार द्वारा दिनांक 20.1.2006 के पश्चात् नव नियुक्ति के संबंध में समय—समय पर जारी नियम एवं शर्तें लागू होगी।


Sd/-
निदेशक, तकनीकी शिक्षा

क्रमांक : एफ7(3-डी)तशिनि/ई-1/सी-2/362 - 69

दिनांक : - 11/12/2023

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :-

1. संयुक्त शासन सचिव, तकनीकी शिक्षा विभाग, राजस्थान, जयपुर।
2. प्रधानाचार्य, राजकीय पॉलिटैक्निक महाविद्यालय, सीकर
3. अभ्यर्थी के कार्यग्रहण करने से पूर्व क्रम संख्या 4, 14 एवं 15 की पूर्ति करने के साथ शैक्षणिक योग्यता संबंधी आवश्यक मूल दस्तावेज, अंकतालिकाएँ एवं प्रमाण पत्र प्राप्त कर जांच कर सन्तुष्टि कर ले कि अभ्यर्थी द्वारा प्रस्तुत दस्तावेज सही है। तत्पश्चात् ही कार्यग्रहण करावें। अन्यथा गलत दस्तावेजों के आधार पर कार्यग्रहण करवाने से किसी भी प्रकार की कार्यवाही हेतु आप स्वयं जिम्मेवार होगें सभी दस्तावेजों/प्रमाण पत्रों (उच्च माध्यमिक परीक्षा, प्रमाण पत्र, कम्प्यूटर योग्यता का प्रमाण पत्र सहित) की सत्य प्रतियां (अभ्यर्थी द्वारा प्रमाणित) आवश्यक रूप से प्राप्त कर ली जावें। जिसकी प्रतियां कार्यग्रहण रिपोर्ट के साथ निदेशालय को शीघ्र प्रेषित करें।
4. प्रधानाचार्य, राजकीय पॉलिटैक्निक महाविद्यालय, अजमेर को उनके पत्रांक 3056 दिनांक 05. 10.2023 के सम्बन्ध में सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।
5. सुश्री शताक्षी गायेल पुत्री स्वर्गीय श्री संजय गोयल, 11/06, न्यू हाउसिंग बोर्ड, सिवसिंगपुरा, सीकर (राज0) निर्धारित कार्यग्रहण करने की अविधि में उक्तानुसार समस्त मूल दस्तावेजों के साथ राजकीय पॉलिटैक्निक महाविद्यालय, सीकर के समक्ष उपस्थिति देवे।
6. निदेशालय गोपनीय शाखा।
7. निजी पत्रावली निदेशालय/संस्थान
8. रक्षित पत्रावली।


निदेशक, तकनीकी शिक्षा

प्राविधिक शिक्षा मण्डल, राजस्थान, जोधपुर

W-6 रसीड़न्सी रोड, जोधपुर, 342032

e-mail : bter.jodhpur@rajasthan.gov.in

Phone no. 0291-2430440, 2636572

क्रमांक: एफ-2(63)प्राशिमं / स्था० / 2024 /

दिनांक

—कार्यालय आदेश:—

संयुक्त सचिव, तकनीकी शिक्षा विभाग, जयपुर के पत्रांक एफ.9(5)तशि / 2020-00426
दिनांक 31.01.2024 की अनुपालना में स्व. श्री प्रभु राम सुथार, भूतपूर्व हैड कानि. 55,
भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, जोधपुर का राज्य सेवा में रहते हुए आकस्मिक निधन हो जाने के
फलस्वरूप इनके आश्रित पुत्र श्री भूपेन्द्र सुथार जन्मतिथि 02-04-2001 (दो अप्रैल दो हजार
एक) अपिव घर्ग को राजस्थान मृत सरकारी कर्मचारियों के आश्रितों के अनुकम्पात्मक नियुक्ति
नियम-1996 के प्रावधानानुसार प्राविधिक शिक्षा मण्डल, राजस्थान, जोधपुर में कनिष्ठ
सहायक के रिक्त पद पर कार्यग्रहण करने की तिथी से दो वर्ष की परिविक्षा के अधीन
कार्मिक (क-2) विभाग, जयपुर की अधिसूचना संख्या 7(2) डीओपी / ए-११/2005 दिनांक
20.01.2006 एवं वित्त विभाग, जयपुर की अधिसूचना एफ-15(1) एफडी/नियम/2017
दिनांक 30.10.2017 राजस्थान सिविल सर्विस (रिवाईज्ड-पे) नियम, 2017 शैड्यूल-4(नियम
16) के अनुसार एक मुश्त रूपये 14600/- (अक्षरे रूपये चौहद हजार छ: सौ मात्र) प्रति माह
पर निम्न शर्तों के अधीन नियुक्ति प्रदान की जाती है :—

- उक्त नियमों के नियम 9 के अनुसार इन्हें तीन वर्ष के भीतर भाषा विभाग, जयपुर
द्वारा आयोतित की जाने वाली कम्प्यूटर टंकण परीक्षा उर्तीण करनी होगी अन्यथा
उक्त नियुक्ति समाप्त होने के दायित्वाधीन होगी। जब तक अहता अर्जित नहीं की
जाती तब तक इन्हें कोई वार्षिक वेतनवृद्धि अनुज्ञेय नहीं होगी। ऐसी अहता अर्जित
कर लेने पर इन्हें नियमानुसार देय वेतनवृद्धि परिवीक्षा काल समाप्त होने के पश्चात्
की तिथि से वास्तविक/काल्पनिक रूप से वेतनवृद्धियां अनुज्ञात की जायेगी। किन्तु
कोई बकाया संदर्भ नहीं की जायेगी।
- प्रमुख शासन सचिव, कार्मिक(क-2) विभाग, जयपुर के परिपत्र संख्या प.5(51)
कार्मिक/क-/88 पार्ट/ दिनांक 21.09.2010 के अनुसार इन्हें एक वर्ष के भीतर
समान्य प्रशासन विभाग (ए-ग्रुप-११) के परिपत्र क्रमांक एफ 7(2)डीओपी/
ए-११/2006 दिनांक 05.07.2010 में वर्णित संस्थानों से कम्प्यूटर कोर्स उर्तीण करना
अनिवार्य होगा।
- उपरोक्त अभ्यर्थी को दिनांक 26.03.2024 तक अपने पद का कार्यभार संभालना
होगा। निर्धारित अवधि में कार्यभार नहीं संभालने की स्थिति में नियुक्ति आदेश निरस्त
करने की कार्यवाही की जायेगी।
- अभ्यर्थी को कार्यग्रहण करने से पूर्व नियत वेतन (Fix Pay) पर कार्य करने की अपनी
सहमति लिखित रूप में प्रस्तुत करनी होगी।
- अभ्यर्थी की नियुक्ति तिथि कनिष्ठ सहायक पद पर कार्यग्रहण की तिथि से मान्य
होगी।

6. परीवीक्षाधीन अवधि के दौरान कार्मिक (क-2) विभाग, जयपुर की अधिसूचना संख्या 7(2)डीओपी/ए-।।/2005 दिनांक 20.01.2006 एवं वित्त विभाग, जयपुर की अधिसूचना प.12(6)वित्त/नियम/2006 दिनांक 13.03.2006, प.6(6)वित्त/नियम/05 दिनांक 13.03.2006, प.1(2)वित्त/नियम/2006 दिनांक 13.03.2006, प.13(1)वित्त/नियम/2003 दिनांक 13.03.2006, वित्त विभाग की अधिसूचना एफ(1)एफडी/नियम/2017 दिनांक 30.10.2017 राजस्थान सिविल सर्विस (संशोधित वेतनमान) नियम, 2017 के नियम 16 व परिशिष्ट-4 के अन्तर्गत नियत पारिश्रमिक() के हकदार होंगे। इसके अतिरिक्त अन्य भत्ते यथा—मकान किराया भत्ता, मंहगाई भत्ता, शहरी क्षतिपूर्ति भत्ता, विशेष भत्ता इत्यादि देय नहीं होंगे।
7. परीवीक्षाधीन अवधि में कोई वार्षिक वेतन वृद्धि देय नहीं होगी।
8. उक्त नियमों के नियम एवं राज्य सरकार की अधिसूचना क्रमांक एफ-5(51) डीओपी/ए-।। दिनांक 27.02.2001 के प्रावधानानुसार अभ्यर्थी द्वारा मृतक के अन्य आश्रितों के भरण—पोषण न करने पर आवश्यक कार्यवाही पश्चात इनकी नियुक्ति समाप्ति के अध्याधीन होगी।
9. यदि अभ्यर्थी का कार्य एवं आचरण परीक्षा अवधि में कभी भी अथवा परीक्षाकाल की समाप्ति पर सन्तोषप्रद नहीं पाया गया तो बिना किसी क्षतिपूर्ति के सेवा से किसी भी समय विमुक्ति किया जा सकेगा।
10. यह नियुक्ति पूर्णतया: अस्थाई आधार पर है, परन्तु राज्य सरकार इनके कार्य एवं आचरण की रिपोर्ट के आधार पर एवं अन्य रूप से स्थाईकरण के लिये उपयुक्त समझे जाने की दशा में जब कभी भी स्थाई रिक्त पद उपलब्ध होंगे, इनको कनिष्ठ सहायक के पद पर राजस्थान अधीनस्थ कार्यालय मंत्रालयिक सेवा नियम, 1999 के नियमों के अन्तर्गत स्थाई आधार पर नियुक्ति कर सकेगी।
11. परीक्षा प्रशिक्षण अवधि में अन्य सुविधा या अवकाश आदि राजस्थान सेवा नियमों में संशोधित प्रावधानों के अनुसार देय होंगे।
12. यदि किसी अभ्यर्थी के दस्तावेजों में कोई कमी अथवा दस्तावेज फर्जी पाये जाते हैं तो राज्य सरकार इनकी सेवाएँ तत्काल समाप्त कर सकेगी।
13. अभ्यर्थी की जन्म तिथि उनके द्वारा प्रस्तुत सैकेण्डरी परीक्षा उर्तीण करने के मूल प्रमाण पत्र के आधार पर अंकित की गई है। अंकित की गई जन्म तिथि अपरिवर्तनीय होगी।
14. अभ्यर्थी को अपना पद भार ग्रहण करने से पूर्व शैक्षणिक योग्यता संबंधी समस्त दस्तावेज एवं राजकीय चिकित्सालय के मेडिकल ज्यूरिष्ट/सक्षम चिकित्सा अधिकारी से स्वास्थ्य प्रमाण—पत्र प्राप्त कर प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा।
15. अभ्यर्थी द्वारा 50/- नॉन ज्यूडिशियल स्टाम्प पेपर पर अभ्यर्थी श्री भूपेन्द्र सुथार द्वारा निम्नानुसार शपथ पत्र प्रस्तुत करना होगा :—

“मैं श्री भूपेन्द्र सुथार शपथपूर्वक बयान करता हूँ कि मेरे पिता स्व. श्री प्रभु राम सुथार, भूतपूर्व हैड कानि. के परिवार का कोई भी सदस्य केन्द्र या राज्य सरकार अथवा केन्द्र या राज्य सरकार के कानूनी बोर्ड, संगठन, निगम जो पूर्णतः या भागतः केन्द्र/राज्य सरकार के स्वामित्व या नियन्त्रण में हो के अधीन सरकारी कर्मचारी की मृत्यु के समय व आदिनांक तक नियमित आधार पर पहले से नियोजित नहीं है।”

16. अभ्यर्थी को कार्यभार संभालने हेतु किसी प्रकार का यात्रा भत्ता देय नहीं होगा।

उपरोक्त के अतिरिक्त राज्य सरकार द्वारा दिनांक 20.01.2006 के पश्चात् नव नियुक्ति के संबंध में समय—समय पर जारी नियम एवं शर्त लागू होगी।

— ५ —

अध्यक्ष/निदेशक

प्राविधिक शिक्षा मण्डल, राजस्थान, जोधपुर

क्रमांक: एफ-2(63)प्राशिम/स्था०/2024/130३

दिनांक

14 MAR 2024

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

1. संयुक्त शासन सचिव, तकनीकी शिक्षा विभाग, राजस्थान, जयपुर।
- ✓ 2. निदेशक, तकनीकी शिक्षा निदेशालय, जोधपुर।
3. कोषाधिकारी (शहर), जोधपुर द्वारा बिल लिपिक प्राविधिक शिक्षा मण्डल, राज., जोधपुर।
4. कार्यालयध्यक्ष, प्राविधिक शिक्षा मण्डल, राजस्थान, जोधपुर अभ्यर्थी के कार्यग्रहण करने से पूर्व क्रम संख्या 3 एवं 15 की पूर्ति करने के साथ शैक्षणित योग्यता संबंधी आवश्यक मूल दस्तावेज, अंकतालिकाएँ एवं प्रमाण पत्र प्राप्त कर जांच कर सन्तुष्टि कर ले कि अभ्यर्थी द्वारा प्रस्तुत दस्तावेज सही है। तत्पश्चात् ही कार्यग्रहण करावें। अन्यथा गलत दस्तावेजों के आधार पर कार्यग्रहण करवाने से किसी भी प्रकार की कार्यवाही हेतु आप स्वयं जिम्मेवार होगें सभी दस्तावेजों/प्रमाण पत्रों (उच्च माध्यमिक परीक्षा, प्रमाण पत्र, कम्प्यूटर योग्यता का प्रमाण पत्र सहित) की सत्य प्रतियां (अभ्यर्थी द्वारा प्रमाणित) आवश्यक रूप से प्राप्त कर ली जावें।
5. बिल लिपिक, प्राविधिक शिक्षा मण्डल, राजस्थान, जोधपुर।
6. श्री भूपेन्द्र सुथार पुत्र स्व. श्री प्रभु राम सुथार, भूतपूर्व हैड कानि, 65 सांखला टेन्ट हाऊस, गली नं. 4 विद्यानगर, भदवासिया, जोधपुर 342006 निर्धारित कार्यग्रहण करने की अवधि में उक्तानुसार समस्त मूल दस्तावेजों के साथ कार्यालयध्यक्ष, प्राविधिक शिक्षा मण्डल, राजस्थान, जोधपुर के समक्ष उपस्थिति देवें।
7. निजी पत्रावली।
8. रक्षित पत्रावली।

संयुक्त निदेशक एवं सचिव

C-2,
C-3, 14.3.24
DIRECTORATE OF TECH EDUCATION

JODHPUR

R. R. No. 1175

DATE..... 14/3/2024



राजस्थान—सरकार

तकनीकी शिक्षा निदेशालय, राजस्थान, जोधपुर

क्रमांक : एफ7(३-डी)तशि/ई-१/सी-२/

दिनांक :-

:: कार्यालय—आदेश :: (संख्या. १०८....)

श्री जगदीशराम, कानि. चालक 2034, कार्यालय जिला पुलिस अधीक्षक, नागौर का राज्य सेवा में रहते हुए दिनांक 04.01.2022 को निधन हो जाने के फलस्वरूप इनके पुत्र श्री वासुदेव चौटिया जन्म तिथि 11.09.2004 (ग्यारह सितम्बर दो हजार चार) अन्य पिछड़ा वर्ग को राजस्थान मृत सरकारी कर्मचारियों के आश्रितों के अनुकम्पात्मक नियुक्ति नियम—1996 के प्रावधानानुसार राजकीय पॉलिटेक्निक महाविद्यालय, नागौर (राजस्थान) में कनिष्ठ सहायक के रिक्त पद पर कार्यग्रहण करने की तिथी से दो वर्ष की परिवीक्षा के अधीन कार्मिक (क-२) विभाग, जयपुर की अधिसूचना संख्या 7(2) डीओपी/ए-११ / 2005 दिनांक 20.01.2006 एवं वित्त विभाग, जयपुर की अधिसूचना एफ 15(1) एफडी/नियम/2017 दिनांक 30.10.2017 राजस्थान सिविल सर्विस (रिवाईज्ड—पे) नियम, 2017 सैड्यूल-४ (नियम 16) के अनुसार एक मुश्त रूपये 14600/- (अक्षरे रूपये चौदह हजार छ: सौ मात्र) प्रति माह पर निम्न शर्तों के अधीन नियुक्ति प्रदान की जाती है :-

1. उक्त नियमों के नियम 9 (i) के अनुसार संबंधित सेवा नियम में अंकित यथा विहित कम्प्यूटर योग्यता परीवीक्षाकाल में उत्तीर्ण करनी होगी, इसमें विफल होने पर परीवीक्षा को बढ़ाया हुआ समझा जायेगा जब तक कि नियुक्ति प्राधिकारी अभ्यर्थी का कार्य पूर्णतः असंतोषजनक पाये जाने पर सेवाओं को समाप्त न कर दें।
2. उक्त नियमों के नियम 9 (ii) के अनुसार इन्हें तीन वर्ष के भीतर भाषा विभाग, जयपुर द्वारा आयोजित की जाने वाली कम्प्यूटर टंकण परीक्षा उर्त्तीर्ण करनी होगी अन्यथा उक्त नियुक्ति समाप्त होने के दायित्वाधीन होगी। जब तक अहंता अर्जित नहीं की जाती तब तक इन्हें कोई वार्षिक वेतनवृद्धि अनुज्ञेय नहीं होगी। ऐसी अहंता अर्जित कर लेने पर इन्हें नियमानुसार देय वेतनवृद्धि परिवीक्षा काल समाप्त होने के पश्चात् की तिथि से वास्तविक/काल्पनिक रूप से अनुज्ञात की जायेगी, किन्तु कोई बकाया संदर्भ नहीं की जायेगी।
3. उपरोक्त अभ्यर्थी को दिनांक 03.07.2024 तक अपने पद का कार्यभार सम्भालना होगा। निर्धारित अवधि में कार्यभार नहीं सम्भालने की स्थिति में नियुक्ति आदेश निरस्त करने की कार्यवाही की जायेगी।
4. अभ्यर्थी को कार्यभार ग्रहण करने से पूर्व नियत वेतन (Fix-Pay) पर कार्य करने की अपनी सहमति लिखित रूप में प्रस्तुत करनी होगी।
5. अभ्यर्थी की नियुक्ति तिथि कनिष्ठ सहायक पद पर कार्यग्रहण की तिथि से मान्य होगी।
6. परीवीक्षाधीन अवधि के दौरान कार्मिक (क-२) विभाग, जयपुर की अधिसूचना संख्या 7(2) डीओपी/ए-११/2005 दिनांक 20.1.2006 एवं वित्त विभाग, जयपुर की अधिसूचना प.12(6)वित्त/नियम/2006 दिनांक 13.3.2006, प. 6(6)वित्त/नियम/05 दिनांक 13.3.2006, प.1(2)वित्त/नियम/2006 दिनांक 13.3.2006, प. 13(1) वित्त/नियम/2003 दिनांक 13.3.2006, वित्त विभाग की अधिसूचना एफ15(1)एफडी/नियम/2017 दिनांक 30.10.2017 राजस्थान सिविल सर्विस (संशोधित वेतनमान) नियम, 2017 के नियम 16 व परिशिष्ट -4 के अन्तर्गत नियत पारिश्रमिक (Fixed Remuneration) के हकदार होगे इसके अतिरिक्त अन्य भत्ते यथा—मकान किराया भत्ता, मंहगाई भत्ता, शहरी क्षतिपूर्ति भत्ता, विशेष भत्ता इत्यादि देय नहीं होंगे।
7. परीवीक्षाधीन अवधि में कोई वार्षिक वेतन वृद्धि देय नहीं होगी।
8. उक्त नियमों के नियम एवं राज्य सरकार की अधिसूचना क्रमांक एफ-५(५)डीओपी/ए-११ दिनांक 27.02.2001 के प्रावधानानुसार अभ्यर्थी द्वारा मृतक के अन्य आश्रितों के भरण—पोषण न करने पर आवश्यक कार्यवाही पश्चात् इनकी नियुक्ति समाप्ति के अध्याधीन होगी।

9. यदि अभ्यर्थी का कार्य एवं आचरण परीक्षा अवधि में कभी भी अथवा परीक्षाकाल की समाप्ति पर सन्तोषप्रद नहीं पाया गया तो बिना किसी क्षतिपूर्ति के सेवा से किसी भी समय विमुक्त किया जा सकेगा।
 10. यह नियुक्ति पूर्णतया: अस्थाई आधार पर है, परन्तु राज्य सरकार इनके कार्य एवं आचरण की रिपोर्ट के आधार पर एवं अन्य रूप से स्थाईकरण के लिये उपयुक्त समझे जाने की दशा में जब कभी भी स्थाई रिक्त पद उपलब्ध होगें, इनको कनिष्ठ सहायक के पद पर राजस्थान अधीनस्थ कार्यालय मंत्रालयिक सेवा नियम, 1999 के नियमों के अन्तर्गत स्थाई आधार पर नियुक्त कर सकेगी।
 11. परीक्षा प्रशिक्षण अवधि में अन्य सुविधा या अवकाश आदि राजस्थान सेवा नियमों में संशोधित प्रावधानों के अनुसार देय होंगे।
 12. यदि किसी अभ्यर्थी के दस्तावेजों में कोई कभी अथवा दस्तावेज फर्जी पाये जाते हैं तो राज्य सरकार इनकी सेवाएँ तत्काल समाप्त कर सकेगी।
 13. अभ्यर्थी की जन्म तिथि उनके द्वारा प्रस्तुत सैकेण्डरी परीक्षा उर्तीण करने के मूल प्रमाण पत्र के आधार पर अंकित की गई है। अंकित की गई जन्म तिथि अपरिवर्तनीय होगी।
 14. अभ्यर्थी को अपना पद भार ग्रहण करने से पूर्व शैक्षणिक योग्यता संबंधी समस्त दस्तावेज एवं राजकीय चिकित्सालय के मेडिकल ज्यूरिष्ट/सक्षम चिकित्सा अधिकारी से स्वास्थ्य प्रमाण-पत्र प्राप्त कर प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा।
 15. अभ्यर्थी द्वारा राजपत्रित अधिकारियों द्वारा सत्यापित एवं मुद्रित दो चरित्र प्रमाण पत्र एवं रूपये 50/- के नॉन ज्यूडिशियल स्टाम्प पेपर पर अभ्यर्थी श्री रोहित सिंह द्वारा निम्नानुसार शपथ पत्र प्रस्तुत करना होगा :—

“मैं वासुदेव चौटिया शपथपूर्वक बयान करता हूँ कि मेरे पिता श्री जगदीशराम, कानि. चालक 2034, कार्यालय जिला पुलिस अधीक्षक, नागौर के परिवार का कोई भी सदस्य केन्द्र या राज्य सरकार अथवा केन्द्र या राज्य सरकार के कानूनी बोर्ड, संगठन, निगम जो पूर्णतः या भागतः केन्द्र/राज्य सरकार के स्वामित्व या नियन्त्रण में हो के अधीन सरकारी कर्मचारी की मृत्यु के समय व आदिनांक तक नियमित आधार पर पहले से नियोजित नहीं है।”
 16. परीक्षा प्रशिक्षण अवधि में सन्तोषजनक सेवा पूर्ण करने के उपरान्त ही इनका वेतन निर्धारण कनिष्ठ सहायक पद के वेतनमान L-5 20800—65900 में करते हुए नियमानुसार अतिरिक्त भत्ते देय होंगे।
 17. श्री वासुदेव चौटिया पुत्र स्व० श्री जगदीशराम की नियुक्ति हेतु निम्न मूल दस्तावेज संलग्न कर भिजवाये जा रहे हैं :—
 1. पुलिस सत्यापन प्रमाण पत्र
 2. रूपये 50/- के नॉन ज्यूडिशियल स्टाम्प पेपर पर धुम्रपान/ गुटखा बीड़ी, मदीरा पान न करने का प्रमाण पत्र।
 3. रूपये 50/- के नॉन ज्यूडिशियल स्टाम्प पेपर पर संविधान के प्रति निष्ठा का प्रमाण पत्र।
 4. रूपये 50/- के नॉन ज्यूडिशियल स्टाम्प पेपर पर दहेज न लिये जाने का प्रमाण पत्र।
 5. रूपये 50/- के नॉन ज्यूडिशियल स्टाम्प पेपर पर विवाह/ संतान संबंधी प्रमाण पत्र।
 6. अभ्यर्थी को कार्यभार संभालने हेतु किसी प्रकार का यात्रा भत्ता देय नहीं होगा।
- उपरोक्त के अतिरिक्त राज्य सरकार द्वारा दिनांक 20.1.2006 के पश्चात् नव नियुक्ति के संबंध में समय—समय पर जारी नियम एवं शर्तें लागू होगी।

निदेशक, तकनीकी शिक्षा

क्रमांक : एफ७(३-डी)तशिनि / ई-१/सी-२/ ५८९।—९४

दिनांक :- १३/६/२०


प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :-

1. संयुक्त शासन सचिव, तकनीकी शिक्षा विभाग, राजस्थान, जयपुर को उनके समसंख्यक पत्रांक एफ.९(५)त.शि. / 2020-00426 दिनांक 29.02.2024 के संदर्भ में ।
2. जिला कलक्टर, नागौर को भेज कर निवेदन है कि रोजगार मेले (दिवस) पर मृतक आश्रित प्रार्थी को नियुक्ति आदेश सुपूर्द कर गौरान्वित करावें ।
3. अतिरिक्त महानिदेशक पुलिस, कार्यालय महानिदेशक, पुलिस, राजस्थान, जयपुर को उनके समसंख्यक पत्रांक न.५(७६)पु.फो/मृ.आर.सैल / 2023 / ७६ दिनांक 20.02.2024 के सन्दर्भ में ।
4. प्रधानाचार्य, राजकीय पॉलिटेक्निक महाविद्यालय, नागौर, अभ्यर्थी के कार्यग्रहण करने से पूर्व क्रम संख्या 4, 14 एवं 15 की पूर्ति करने के साथ शैक्षणिक योग्यता संबंधी आवश्यक मूल दस्तावेज, अंकतालिकाएँ एवं प्रमाण पत्र प्राप्त कर जांच कर सन्तुष्टि कर ले कि अभ्यर्थी द्वारा प्रस्तुत दस्तावेज सही है। तत्पश्चात् ही कार्यग्रहण करावें। अन्यथा गलत दस्तावेजो के आधार पर कार्यग्रहण करवाने से किसी भी प्रकार की कार्यवाही हेतु आप स्वयं जिम्मेवार होगें सभी दस्तावेजों/प्रमाण पत्रों (उच्च माध्यमिक परीक्षा, प्रमाण पत्र, कम्प्यूटर योग्यता का प्रमाण पत्र सहित) की सत्य प्रतियां (अभ्यर्थी द्वारा प्रमाणित) आवश्यक रूप से प्राप्त कर ली जावें। जिसकी प्रतियां कार्यग्रहण रिपोर्ट के साथ निदेशालय को शीघ्र प्रेषित करें तथा मृतक आश्रित प्रार्थी को नियुक्ति आदेश अपने स्थानीय जिला कलक्टर के माध्यम से रोजगार मेले(दिवस) में सुपूर्दगी हेतु भिजवाने का श्रम करावें।
5. श्री वासुदेव चौटिया पुत्र स्वर्गीय श्री जगदीशराम, निवासी-इन्दास, तहसील व जिला नागौर (राज०) निर्धारित कार्यग्रहण करने की अविधि में उक्तानुसार समस्त मूल दस्तावेजो के साथ राजकीय पॉलिटेक्निक महाविद्यालय, नागौर (राजस्थान) के समक्ष उपस्थिति देवे।
6. निदेशालय गोपनीय शाखा ।
7. निजी पत्रावली निदेशालय / संस्थान
8. रक्षित पत्रावली ।

१३/६/२०
निदेशक, तकनीकी शिक्षा

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :-

1. संयुक्त शासन सचिव, तकनीकी शिक्षा विभाग, राजस्थान, जयपुर को उनके समसंख्यक पत्रांक एफ.9(5)त.शि. / 2020-00426 दिनांक 29.02.2024 के सन्दर्भ में ।
2. जिला कलक्टर, टोक को भेजकर निवेदन है कि रोजगार मेले (दिवस) पर मृतक आश्रित प्रार्थी को नियुक्ति आदेश सुपूर्द कर गौरान्वित करावें।
3. अतिरिक्त महानिदेशक पुलिस, कार्यालय महानिदेशक, पुलिस, राजस्थान, जयपुर को उनके समसंख्यक पत्रांक न.5(76)पु.फो / मृ.आर.सैल / 2023 / 77 दिनांक 20.02.2024 के सन्दर्भ में।
4. ✓ प्रधानाचार्य, राजकीय पॉलिटेक्निक महाविद्यालय, टोक, अभ्यर्थी के कार्यग्रहण करने से पूर्व क्रम संख्या 4, 14 एवं 15 की पूर्ति करने के साथ शैक्षणिक योग्यता संबंधी आवश्यक मूल दस्तावेज, अंकतालिकाएँ एवं प्रमाण पत्र प्राप्त कर जांच कर सन्तुष्टि कर ले कि अभ्यर्थी द्वारा प्रस्तुत दस्तावेज सही है। तत्पश्चात् ही कार्यग्रहण करावें। अन्यथा गलत दस्तावेजों के आधार पर कार्यग्रहण करवाने से किसी भी प्रकार की कार्यवाही हेतु आप स्वयं जिम्मेवार होगें सभी दस्तावेजों/प्रमाण पत्रों (उच्च माध्यमिक परीक्षा, प्रमाण पत्र, कम्प्यूटर योग्यता का प्रमाण पत्र सहित) की सत्य प्रतियां (अभ्यर्थी द्वारा प्रमाणित) आवश्यक रूप से प्राप्त कर ली जावें। जिसकी प्रतियां कार्यग्रहण रिपोर्ट के साथ निदेशालय को शीघ्र प्रेषित करें तथा मृतक आश्रित प्रार्थी को नियुक्ति आदेश अपने स्थानीय जिला कलक्टर के माध्यम से रोजगार मेले(दिवस) में सुपूर्दगी हेतु भिजवाने का श्रम करावें।
5. श्री रोहित सिंह पुत्र स्वर्गीय श्री सुरेन्द्र कुमार सिंह, निवासी-174, प्रिया विहार, निवारु लिंक रोड, गोविन्दपुरा झोटवाडा, जयपुर-302012 (राज0) निर्धारित कार्यग्रहण करने की अविधि में उक्तानुसार समस्त मूल दस्तावेजों के साथ राजकीय पॉलिटेक्निक महाविद्यालय, टोक के समक्ष उपस्थिति देवे।
6. निदेशालय गोपनीय शाखा।
7. निजी पत्रावली निदेशालय/संस्थान
8. रक्षित पत्रावली।


४१६
निदेशक, तकनीकी शिक्षा



राजस्थान-सरकार

तकनीकी शिक्षा निदेशालय, राजस्थान, जोधपुर

क्रमांक : एफ/3-डी)तशि/ई-1/सी-2/

दिनांक :-

:: कार्यालय-आदेश :: (संख्या.....)

श्री सुरेन्द्र कुमार सिंह, कानि. 6457, पुलिस आयुक्तालय, जयपुर का राज्य सेवा में रहते हुए दिनांक 11.12.2022 को निधन हो जाने के फलस्वरूप इनके पुत्र श्री रोहित सिंह जन्म तिथि 08.03.2002 (आठ मार्च दो हजार दो) सामान्य वर्ग को राजस्थान मृत सरकारी कर्मचारियों के आश्रितों के अनुक्रमात्मक नियुक्ति नियम-1996 के प्रावधानानुसार राजकीय पॉलिटेक्निक महाविद्यालय, टॉक में कनिष्ठ सहायक के रिक्त पद पर कार्यग्रहण करने की तिथी से दो वर्ष की परिवीक्षा के अधीन कार्मिक (क-2) विभाग, जयपुर की अधिसूचना संख्या 7(2) डीओपी/ए-11/2005 दिनांक 20.01.2006 एवं वित्त विभाग, जयपुर की अधिसूचना एफ 15(1) एफडी/नियम/2017 दिनांक 30.10.2017 राजस्थान सिविल सर्विस (रिवाईज्ड-पे) नियम, 2017 सैद्धांत-4 (नियम 16) के अनुसार एक मुश्त रूपये 14600/- (अक्षरे रूपये चौदह हजार छः सौ मात्र) प्रति माह पर निम्न शर्तों के अधीन नियुक्ति प्रदान की जाती है :-

1. उक्त नियमों के नियम 9 (i) के अनुसार संबंधित सेवा नियम में अंकित यथा विहित कम्प्यूटर योग्यता परीक्षाकाल में उर्तीण करनी होगी, इसमें विफल होने पर परीक्षा को बढ़ाया हुआ समझा जायेगा जब तक कि नियुक्ति प्राधिकारी अभ्यर्थी का कार्य पूर्णतः असंतोषजनक पाये जाने पर सेवाओं को समाप्त न कर दें।
2. उक्त नियमों के नियम 9 (ii) के अनुसार इन्हें तीन वर्ष के भीतर भाषा विभाग, जयपुर द्वारा आयोजित की जाने वाली कम्प्यूटर टंकण परीक्षा उर्तीण करनी होगी अन्यथा उक्त नियुक्ति समाप्त होने के दायित्वाधीन होगी। जब तक अहता अर्जित नहीं की जाती तब तक इन्हें कोई वार्षिक वेतनवृद्धि अनुज्ञेय नहीं होगी। ऐसी अहता अर्जित कर लेने पर इन्हें नियमानुसार देय वेतनवृद्धि परिवीक्षा काल समाप्त होने के पश्चात् की तिथि से वास्तविक/काल्पनिक रूप से अनुज्ञात की जायेगी, किन्तु कोई बकाया संदर्भ नहीं की जायेगी।
3. उपरोक्त अभ्यर्थी को दिनांक 03.07.2024 तक अपने पद का कार्यभार सम्भालना होगा। निर्धारित अवधि में कार्यभार नहीं संभालने की स्थिति में नियुक्ति आदेश निरस्त करने की कार्यवाही की जायेगी।
4. अभ्यर्थी को कार्यभार ग्रहण करने से पूर्व नियत वेतन (Fix-Pay) पर कार्य करने की अपनी सहमति लिखित रूप में प्रस्तुत करनी होगी।
5. अभ्यर्थी की नियुक्ति तिथि कनिष्ठ सहायक पद पर कार्यग्रहण की तिथि से मान्य होगी।
6. परीक्षाधीन अवधि के दौरान कार्मिक (क-2) विभाग, जयपुर की अधिसूचना संख्या 7(2) पी.12(6)वित्त/नियम/2006 दिनांक 20.1.2006 एवं वित्त विभाग, जयपुर की अधिसूचना प.1(2)वित्त/नियम/2006 दिनांक 13.3.2006, प. 6(6)वित्त/नियम/05 दिनांक 13.3.2006, वित्त विभाग की अधिसूचना एफ15(1)एफडी/नियम/2017 दिनांक 30.10.2017 राजस्थान सिविल सर्विस (संशोधित वेतनमान) नियम, 2017 के नियम 16 व परिशिष्ट -4 के अन्तर्गत नियत पारिश्रमिक (Fixed Remuneration) के हकदार होगे इसके अतिरिक्त अन्य भत्ते यथा—मकान किराया भत्ता, मंहगाई भत्ता, शहरी क्षतिपूर्ति भत्ता, विशेष भत्ता इत्यादि देय नहीं होंगे।
7. परीक्षाधीन अवधि में कोई वार्षिक वेतन वृद्धि देय नहीं होगी।
8. उक्त नियमों के नियम एवं राज्य सरकार की अधिसूचना क्रमांक एफ-5(51)डीओपी/ए-11 दिनांक 27.02.2001 के प्रावधानानुसार अभ्यर्थी द्वारा मृतक के अन्य आश्रितों के भरण-पोषण न करने पर आवश्यक कार्यवाही पश्चात् इनकी नियुक्ति समाप्ति के अध्याधीन होगी।

9. यदि अभ्यर्थी का कार्य एवं आचरण परीक्षाकाल की समाप्ति पर सन्तोषप्रद नहीं पाया गया तो बिना किसी क्षतिपूर्ति के सेवा से किसी भी समय विमुक्त किया जा सकेगा।
10. यह नियुक्ति पूर्णतया: अस्थाई आधार पर है, परन्तु राज्य सरकार इनके कार्य एवं आचरण की रिपोर्ट के आधार पर एवं अन्य रूप से स्थाईकरण के लिये उपयुक्त समझे जाने की दशा में जब कभी भी स्थाई रिक्त पद उपलब्ध होगें, इनको कनिष्ठ सहायक के पद पर राजस्थान अधीनस्थ कार्यालय मंत्रालयिक सेवा नियम, 1999 के नियमों के अन्तर्गत स्थाई आधार पर नियुक्ति कर सकेगी।
11. परीक्षा प्रशिक्षण अवधि में अन्य सुविधा या अवकाश आदि राजस्थान सेवा नियमों में संशोधित प्रावधानों के अनुसार देय होंगे।
12. यदि किसी अभ्यर्थी के दस्तावेजों में कोई कमी अथवा दस्तावेज फर्जी पाये जाते हैं तो राज्य सरकार इनकी सेवाएँ तत्काल समाप्त कर सकेगी।
13. अभ्यर्थी की जन्म तिथि उनके द्वारा प्रस्तुत सैकेण्डरी परीक्षा उर्त्तीण करने के मूल प्रमाण पत्र के आधार पर अंकित की गई है। अंकित की गई जन्म तिथि अपरिवर्तनीय होगी।
14. अभ्यर्थी को अपना पद भार ग्रहण करने से पूर्व शैक्षणिक योग्यता संबंधी समस्त दस्तावेज एवं राजकीय चिकित्सालय के मेडिकल ज्यूरिष्ट/सक्षम चिकित्सा अधिकारी से स्वास्थ्य प्रमाण-पत्र प्राप्त कर प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा।
15. अभ्यर्थी द्वारा राजपत्रित अधिकारियों द्वारा सत्यापित एवं मुद्रित दो चरित्र प्रमाण पत्र एवं रूपये 50/- के नॉन ज्यूडिशियल स्टाम्प पेपर पर अभ्यर्थी श्री रोहित सिंह द्वारा निम्नानुसार शपथ पत्र प्रस्तुत करना होगा :-
- “मैं रोहित सिंह शपथपूर्वक बयान करता हूँ कि मेरे पिता स्व० श्री सुरेन्द्र कुमार सिंह, कानि. 6457, पुलिस आयुक्तालय, जयपुर के परिवार का कोई भी सदस्य केन्द्र या राज्य सरकार अथवा केन्द्र या राज्य सरकार के कानूनी बोर्ड, संगठन, निगम जो पूर्णतः या भागतः केन्द्र/राज्य सरकार के स्वामित्व या नियन्त्रण में हो के अधीन सरकारी कर्मचारी की मृत्यु के समय व आदिनांक तक नियमित आधार पर पहले से नियोजित नहीं है।”
16. परीक्षा प्रशिक्षण अवधि में सन्तोषजनक सेवा पूर्ण करने के उपरान्त ही इनका वेतन निर्धारण कनिष्ठ सहायक पद के वेतनमान L-5 20800–65900 में करते हुए नियमानुसार अतिरिक्त भत्ते देय होंगे।
17. श्री रोहित सिंह पुत्र स्व० श्री सुरेन्द्र कुमार सिंह की नियुक्ति हेतु निम्न मूल दस्तावेज संलग्न कर भिजवाये जा रहे हैं :-
1. पुलिस सत्यापन प्रमाण पत्र
 2. रूपये 50/- के नॉन ज्यूडिशियल स्टाम्प पेपर पर धुम्रपान/ गुटखा बीड़ी, मदीरा पान न करने का प्रमाण पत्र।
 3. रूपये 50/- के नॉन ज्यूडिशियल स्टाम्प पेपर पर संविधान के प्रति निष्ठा का प्रमाण पत्र।
 4. रूपये 50/- के नॉन ज्यूडिशियल स्टाम्प पेपर पर दहेज न लिये जाने का प्रमाण पत्र।
 5. रूपये 50/- के नॉन ज्यूडिशियल स्टाम्प पेपर पर विवाह/ संतान संबंधी प्रमाण पत्र।
18. अभ्यर्थी को कार्यभार संभालने हेतु किसी प्रकार का यात्रा भत्ता देय नहीं होगा।
उपरोक्त के अतिरिक्त राज्य सरकार द्वारा दिनांक 20.1.2006 के पश्चात् नव नियुक्ति के संबंध में समय-समय पर जारी नियम एवं शर्तें लागू होंगी।

निदेशक, तकनीकी शिक्षा



राजस्थान सरकार

प्रधानाचार्य, राजकीय पॉलिटेक्निक महाविद्यालय, भरतपुर (राजस्थान)

झालमिया डेयरी के पास, एनएच-11, सेवर वार्डपास, भरतपुर

Telephone No.05644-297015, Email-ID-qpc_bharatpur@rajasthan.gov.in

क्रमांक:- जीपीवी / स्था०- ११/२०२४/

दिनांक:-

कार्यालय आदेश

निदेशक, तकनीकी शिक्षा निदेशालय राजस्थान-जोधपुर के आदेश क्रमांक:एफ7(3-डी)तशिनि/ई-1 /सी-2/5405 दिनांक 01.07.2024 की अनुपालना में श्री नरेन्द्र कुमार शर्मा, सहायक प्रशासनिक अधिकारी, राजकीय महिला पॉलिटेक्निक महाविद्यालय, भरतपुर का राज्य सेवा में रहते हुऐं दिनांक 26.01.2024 को निधन हो जाने के फलस्वरूप इनकी पत्नि श्रीमती संतोष देवी, जन्म तिथि 13.02.1976 (तेरह फरवरी उन्नीस सौ छिहत्तर) सामान्य वर्ग को राजस्थान मृत सरकारी कर्मचारियों के आश्रितों को अनुकंपात्मक नियुक्ति नियम 1996 के प्रावधानुसार श्री गोकुल वर्मा राजकीय पॉलिटेक्निक महाविद्यालय, भरतपुर में चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी के रिक्त पद पर कार्यग्रहण करने की तिथी से दो वर्ष की परिवीक्षा के अंधीन राज्य सरकार के नोटिफिकेशन क्रमांक:7(2)डीओपी/ए-11/06 दिनांक:20.01.2006 एवं एफ 12(6)एफडी रूल्स/06 दिनांक:13.03.2006 एवं एफ 15(1) एफडी /रूल्स/2017 जयपुर दिनांक 30.10.2017 के अन्तर्गत इन्हें परीवीक्षाधीन प्रशिक्षणार्थी के रूप में पे लेवल-01 में एक मुश्त रूपये 12400/- (वारह हजार चार सौ रुपये) प्रति माह पर निम्न शर्तों के अधीन नियुक्ति प्रदान की जाती है:-

1. राज्य सरकार की अधिसूचना एफ-5(डीओपी) ऐ-11 / 88 पीटी जयपुर दिनांक 8.4.15 के अनुसार नियम 5 में हुये संशोधन की पालना सुनिश्चित करें। मृत राज्य कर्मचारी के परिवार का कोई भी सदस्य किसी अनुसार शपथ-पत्र आश्रित को प्रस्तुत करना होगा। (मृतक की पत्नि पर यह नियम लागू नहीं होगा)
 2. राज्य सरकार के नियमों के प्रावधानुसार परीवीक्षाधीन प्रशिक्षण की अवधि में इन्हें फिक्स्ड रेम्युनरेशन (प्रेलेवल-01 में एक मुश्त रुपये 12400/- प्रति माह) के अतिरिक्त अन्य कोई भत्ता (बोनस, महँगाई भत्ता, द्वारा जारी नवीन परिपत्र के अनुक्रम में प्रावधायी निधि एवं आरजीएचएस की कटौती की जावेगी। परीवीक्षाधीन प्रशिक्षण की अवधि को वार्षिक वेतन वृद्धि के लिए गणना योग्य नहीं माना जावेगा।
 3. परीवीक्षाधीन प्रशिक्षण अवधि में इन्हें कलेण्डर वर्ष में केवल 15 दिन का आकर्षिक अवकाश देय होगा। पूर्ण कलेण्डर वर्ष से कम अवधि होने पर पूर्ण माह के आधार पर अवकाश अनुज्ञाय किया जावेगा एवं अन्य अवकाश राजस्थान सेवा नियम के अनुसार दिये जायेंगे।
 4. राज्य सरकार अधिसूचना क्रमांक:एफ-7(1)/कार्मिक/क-2/95/दिनांक 08.04.2003 के तहत ऐसा कोई आशार्थी जिसके 01.06.2002 को या इसके पश्चात दो से अधिक बच्चे उत्पन्न हुए हों, सेवा में नियुक्ति के लिए समझा जावेगा जब तक कि दिनांक 01.06.2002 को विद्यमान उसके बच्चों की संख्या में बढ़ोतरी नहीं होती। किन्तु राज्य सरकार के आदेश दिनांक 29.10.05 के अनुसार विधवा की नियुक्ति में यह प्रावधान लागू नहीं होगा।
 5. संस्थान में कार्यग्रहण करने से पूर्व आशार्थी को जन्मतिथि, शैक्षिक योग्यता के प्रमाण पत्रों की मूल प्रतियों के साथ सत्यापित छायाप्रतियाँ एवं मुख्य चिकित्सा अधिकारी द्वारा जारी स्वास्थ्य प्रमाण पत्र, दो राजपत्रित अधिकारी द्वारा जारी चरित्र प्रमाण पत्र एवं जिला पुलिस अधीक्षक द्वारा जारी चरित्र सत्यापन प्रमाण पत्र जो कि 6 माह से पूर्व का न हो प्रस्तुत करना होगा।
 6. यदि भविष्य में मृतक आश्रित द्वारा प्रस्तुत योग्यता संबंधी प्रमाण पत्र/अंकतालिकाएँ/अन्य दस्तावेज किसी भी स्तर पर अवैध पाए गए तथा किसी भी प्रकार की शिकायत पर दोषी पाया गया तो इनकी नियुक्ति/राजकीय सेवा तत्काल समाप्त की जा सकेगी।
 7. कार्मिक विभाग के आदेश दिनांक 27.02.2001 के अनुसार मृतक कर्मचारी के आश्रितों का भरण पोषण/पालन पोषण नहीं करने की स्थिति में नियुक्ति/राजकीय सेवा समाप्त की जा सकती है।
 8. दत्तक पुत्र पुत्रियों के संबंध में वैद्यता की जॉच हिन्दू दत्तक तथा भरण पोषण अधिनियम 1956 के प्रावधानानुसार किया जावेगा।
 9. राज्य सरकार के आदेशानुसार धूम्रपान नहीं करने तथा दहेज नहीं लेने के संबंध में आवेदक को शपथ पत्र प्रस्तुत करना होगा।



राजस्थान सरकार

प्रधानाचार्य, राजकीय पॉलिटेक्निक महाविद्यालय, भरतपुर (राजस्थान)
डालमिया डेयरी के पास, एनएच-11, सेवर वाईपास, भरतपुर
Telephone No.05644-297015, Email-ID-gpc.bharatpur@rajasthan.gov.in

10. यदि अम्यर्थी के दस्तावेज में नाम/उपनाम व जाति/उपजाति में भिन्नता होने की स्थिति में 50/- रुपये के नॉन ज्यूडिशियल स्टाम्प पेपर पर सही नाम/उपनाम व जाति/उपजाति के आशय का शपथ पत्र प्रस्तुत करना होगा।
11. राज्य सरकार के नियमानुसार राजकीय सेवा में कार्यग्रहण करने के समय कार्मिक को निम्न आशय का 50/- के नॉन ज्यूडिशियल स्टाम्प पेपर पर शपथ पत्र देना होगा :-
‘मैं.....शपथ लेता हूँ/लेती हूँ सत्यनिष्ठा से प्रतिज्ञा करता हूँ/करती हूँ कि भारत और विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति श्रद्धा और सच्ची निष्ठा रखूँगा/रखूँगी, मैं भारत की प्रभूता और अखण्डता अक्षुण्ण रखूँगा/रखूँगी तथा मैं अपने पद के कर्तव्यों का राजभक्ति, ईमानदारी और निष्पक्षता से पालना करूँगा/करूँगी। (अतः ईश्वर मेरी सहायता करें)।’

उपरोक्त के अतिरिक्त पर राज्य सरकार द्वारा नव नियुक्त कर्मचारियों के संबंध में समय-समय पर जारी किये गये नियम एवं शर्तें लागू होगी।

श्रीमती संतोष देवी पत्नी स्वर्गीय श्री नरेन्द्र कुमार शर्मा को अपना पदभार ग्रहण दिनांक 16-08-24 तक करना होगा अन्यथा नियुक्ति आदेश स्वतः निरस्त माने जायेगें।

5d/
प्रधानाचार्य,
श्री गोकुल वर्मा राज.पॉलिटेक्निक महा.,
भरतपुर

क्रमांक : जीपीबी/स्था०-११/2024/ 1020

प्रतिलिपि:- निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

दिनांक 31/07/2024

1- श्रीमान निदेशक महोदय, तकनीकी शिक्षा निदेशालय, राजस्थान-जोधपुर।

2- प्रधानाचार्य, राजकीय महिला पॉलिटेक्निक महाविद्यालय, भरतपुर।

✓ 3- श्रीमती संतोष देवी पत्नी स्वर्गीय श्री नरेन्द्र कुमार शर्मा, निवासी गांव- खरैरी, तहसील बयाना, जिला-भरतपुर (राजस्थान)।

4- निजी पत्रावली श्रीमती संतोष देवी।

(M/L)
प्रधानाचार्य,
श्री गोकुल वर्मा राज.पॉलिटेक्निक महा.,
भरतपुर



राजस्थान—सरकार

तकनीकी शिक्षा निदेशालय, राजस्थान, जोधपुर

क्रमांक :— एफ-7(3-डी)प्राशिनि/ई-1/सी-2/ ८१९२

दिनांक :— ६/६/२०२४

—: कार्यालय आदेश :— (संख्या—।)

श्रीमती शुभाश्री शर्मा, प्राविधिविज्ञ सी.डी.डी.एम. राजकीय महिला पोलिटेक्निक महाविद्यालय, जयपुर का राज्य सेवा में रहते हुए दिनांक 17.06.2024 को निधन हो जाने के फलस्वरूप इनके पुत्र श्री अमित शर्मा जन्म तिथि 29.05.2000(उन्नतीस मई दो हजार) सामान्य वर्ग को राजस्थान मृत सरकारी कर्मचारियों के आश्रितों के अनुकम्पात्मक नियुक्ति नियम—1996 के प्रावधानानुसार राजकीय महिला पोलिटेक्निक महाविद्यालय, जयपुर में कनिष्ठ सहायक के रिक्त पद पर कार्यग्रहण करने की तिथि से दो वर्ष की परिविक्षा के अधीन कार्मिक (क-2) विभाग, जयपुर की अधिसूचना संख्या 7(2) डीओपी/ ए-।।/ 2005 दिनांक 20.01.2006 एवं वित्त विभाग, जयपुर की अधीसूचना एफ-15(1) एफडी/ नियम/ 2017 दिनांक 30.10.2017 राजस्थान सिविल सर्विस (स्ट्रिवाईज्ड—पे) नियम, 2017 सैड्यूल-4(नियम 16) के अनुसार एक मुश्त रूपये 14600/- (अक्षरे रूपये चौहद हजार छ: सौ मात्र) प्रति माह पर निम्न शर्तों के अधीन नियुक्ति प्रदान की जाती है :—

- उक्त नियमों के नियम 9(i) के अनुसार सम्बन्धित सेवा नियम में अंकित यथाविहित कम्प्युटर योग्यता परिविक्षा काल में उत्तीर्ण करनी होगी, इसमें विफल होने पर परीक्षा को बढ़ाया हुआ समझा जायेगा। जब तक कि नियुक्ति प्राधिकारी अभ्यर्थी का कार्य पूर्णतः असंतोषजनक पाये जाने पर सेवाओं को समाप्त न कर दें।
- उक्त नियमों के नियम 9(ii) के अनुसार इन्हें तीन वर्ष के भीतर भाषा विभाग, जयपुर द्वारा आयोजित की जाने वाली कम्प्युटर टंकण परीक्षा उत्तीर्ण करनी होगी, अन्यथा उक्त नियुक्ति समाप्त होने के दायित्वाधिन होगी। जब तक अहंता अर्जित नहीं की जाती तब तक इन्हें कोई वार्षिक वेतन वृद्धि अनुज्ञा नहीं होगी। ऐसी अहंता अर्जित कर लेने पर इन्हें नियमानुसार देय वेतन वृद्धि परीक्षा काल समाप्त होने के पश्चात की तिथि से वास्तविक/ काल्पनिक रूप से अनुज्ञात की जाएगी, किन्तु कोई बकाया संदत्त नहीं की जायेगी।
- उपरोक्त अभ्यर्थी को दिनांक 20.09.2024 तक अपने पद का कार्यभार सम्भालना होगा। निर्धारित अवधि में कार्यभार नहीं संभालने की स्थिति में नियुक्ति आदेश निरस्त करने की कार्यवाही की जायेगी।
- अभ्यर्थी को कार्यग्रहण करने से पूर्व नियत वेतन (Fix Pay) पर कार्य करने की अपनी सहमति लिखित रूप में प्रस्तुत करनी होगी।

5. अभ्यर्थी की नियुक्ति तिथि कनिष्ठ सहायक पद पर कार्यग्रहण की तिथि से मान्य होगी ।
6. परीवीक्षाधीन अवधि के दौरान कार्मिक (क-2) विभाग, जयपुर की अधिसूचना संख्या 7(2)डीओपी/ए-11/2005 दिनांक 20.01.2006 एवं वित्त विभाग, जयपुर की अधिसूचना प.12(6)वित्त/नियम/2006 दिनांक 13.03.2006, प.6(6)वित्त/नियम/05 दिनांक 13.03.2006, प.1(2)वित्त/नियम/2006 दिनांक 13.03.2006, प.13(1)वित्त/नियम/2003 दिनांक 13.03.2006, वित्त विभाग की अधिसूचना एफ 15(1)एफडी/नियम/2017 दिनांक 30.10.2017 राजस्थान सिविल सर्विस(संशोधित वेतनमान) नियम, 2017 के नियम 16 व परिशिष्ट-4 के अन्तर्गत नियत पारिश्रमिक (Fixed Remuneration) के हकदार होगे । इसके अतिरिक्त अन्य भत्ते यथा—मकान किराया भत्ता, मंहगाई भत्ता, शहरी क्षतिपूर्ति भत्ता, विशेष भत्ता इत्यादि देय नहीं होंगे ।
7. परीवीक्षाधीन अवधि में कोई वार्षिक वेतन वृद्धि देय नहीं होगी ।
8. उक्त नियमों के नियम एवं राज्य सरकार की अधिसूचना क्रमांक एफ-5(51)डीओपी/ए-11 दिनांक 27.02.2001 के प्रावधानानुसार अभ्यर्थी द्वारा मृतक के अन्य आश्रितों के भरण—पोषण न करने पर आवश्यक कार्यवाही पश्चात इनकी नियुक्ति समाप्ति के अध्याधीन होगी ।
9. यदि अभ्यर्थी का कार्य एवं आचरण परीक्षा अवधि में कभी भी अथवा परीक्षाकाल की समाप्ति पर सन्तोषप्रद नहीं पाया गया तो बिना किसी क्षतिपूर्ति के सेवा से किसी भी समय विमुक्त किया जा सकेगा ।
10. यह नियुक्ति पूर्णतया: अस्थाई आधार पर है, परन्तु राज्य सरकार इनके कार्य एवं आचरण की रिपोर्ट के आधार पर एवं अन्य रूप से स्थाईकरण के लिये उपयुक्त समझे जाने की दशा में जब कभी भी स्थाई रिक्त पद उपलब्ध होंगे, इनको कनिष्ठ सहायक के पद पर राजस्थान अधीनस्थ कार्यालय मंत्रालयिक सेवा नियम, 1999 के नियमों के अन्तर्गत स्थाई आधार पर नियुक्ति कर सकेगी ।
11. परीक्षा प्रशिक्षण अवधि में अन्य सुविधा या अवकाश आदि राजस्थान सेवा नियमों में संशोधित प्रावधानों के अनुसार देय होंगे ।
12. यदि किसी अभ्यर्थी के दस्तावेजों में कोई कमी अथवा दस्तावेज फर्जी पाये जाते हैं तो राज्य सरकार इनकी सेवाएँ तत्काल समाप्त कर सकेगी ।
13. अभ्यर्थी की जन्म तिथि उनके द्वारा प्रस्तुत सैकेण्डरी परीक्षा उर्त्तीण करने के मूल प्रमाण पत्र के आधार पर अंकित की गई है । अंकित की गई जन्म तिथि अपरिवर्तनीय होगी ।
14. अभ्यर्थी को अपना पद भार ग्रहण करने से पूर्व शैक्षणिक योग्यता संबंधी समस्त दस्तावेज एवं राजकीय चिकित्सालय के मेडिकल ज्यूरिष्ट/सक्षम चिकित्सा अधिकारी से स्वास्थ्य प्रमाण—पत्र प्राप्त कर प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा ।

U.S

15. अभ्यर्थी द्वारा राजपत्रित अधिकारियों द्वारा सत्यापित एवं मुद्रित दो चरित्र प्रमाण—पत्र एवं रूपये 50/- के नॉन ज्यूडिशियल स्टाम्प पेपर पर अभ्यर्थी श्री अमित शर्मा द्वारा निम्नानुसार शपथ पत्र प्रस्तुत करना होगा :—

“मैं अमित शर्मा शपथपूर्वक बयान करता हूँ कि मेरी माता स्व० श्रीमती शुभाश्री शर्मा भूतपूर्व प्राविधिविज्ञ, सी.डी.डी.एम., राजकीय महिला पोलिटेक्निक महाविद्यालय, जयपुर के परिवार का कोई भी सदस्य केन्द्र या राज्य सरकार अथवा केन्द्र या राज्य सरकार के कानूनी बोर्ड, संगठन, निगम जो पूर्णतः या भागतः केन्द्र/राज्य सरकार के स्वामित्व या नियन्त्रण में हो के अधीन सरकारी कर्मचारी की मृत्यु के समय व आदिनांक तक नियमित आधार पर पहले से नियोजित नहीं है ।”

16. परीवीक्षा प्रशिक्षण अवधि में संतोषजनक सेवा पूर्ण करने के उपरान्त ही इनका वेतन निर्धारण कनिष्ठ सहायक पद के वेतनमान L-5 20800-65900 में करते हुए नियमानुसार अतिरिक्त भत्ते देय होंगे ।

17. श्री अमित शर्मा पुत्र स्व. श्रीमती शुभाश्री शर्मा की नियुक्ति हेतु निम्न मूल दस्तावेज संलग्न कर भिजवाये जा रहे हैं :—

1. पुलिस सत्यापन प्रमाण—पत्र ।
2. रूपये 50/- के नॉन ज्यूडिशियल स्टाम्प पेपर पर ध्रुमपान/गुटखा बीड़ी, मदिरा—पान न करने का प्रमाण—पत्र ।
3. रूपये 50/- के नॉन ज्यूडिशियल स्टाम्प पेपर पर संविधान के प्रति निष्ठा का प्रमाण—पत्र ।
4. रूपये 50/- के नॉन ज्यूडिशियल स्टाम्प पेपर पर दहेज न लिए जाने का प्रमाण—पत्र ।

18. अभ्यर्थी को कार्यभार संभालने हेतु किसी प्रकार का यात्रा भत्ता देय नहीं होगा ।

उपरोक्त के अतिरिक्त राज्य सरकार द्वारा दिनांक 20.01.2006 के पश्चात् नव नियुक्ति के संबंध में समय—समय पर जारी नियम एवं शर्तें लागू होगी ।

निदेशक, तकनीकी शिक्षा

क्रमांक :— एफ-7(3-डी)प्राशिनि/ई-1/सी-2/८१९३-८१९८ दिनांक :— ६/९/२०२५

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :—

1. संयुक्त शासन सचिव, तकनीकी शिक्षा विभाग, राजस्थान, जयपुर ।
2. प्रधानाचार्य, राजकीय पोलिटेक्निक महिला महाविद्यालय, जयपुर अभ्यर्थी के कार्यग्रहण करने से पूर्व क्रम संख्या 4, 14 एवं 15 की पूर्ति करने के साथ शैक्षणिक योग्यता संबंधी आवश्यक मूल दस्तावेज, अंकतालिकाएं एवं प्रमाण पत्र प्राप्त कर जांच कर सन्तुष्टि कर ले कि अभ्यर्थी द्वारा प्रस्तुत दस्तावेज सही है । तत्पश्चात् ही कार्यग्रहण

करावें। अन्यथा गलत दस्तावेजों के आधार पर कार्यग्रहण करवाने से किसी भी प्रकार की कार्यवाही हेतु आप स्वयं जिम्मेवार होगें सभी दस्तावेजों/प्रमाण पत्रों (उच्च माध्यमिक परीक्षा प्रमाण पत्र, कम्प्युटर योग्यता का प्रमाण—पत्र सहित) की सत्य प्रतियां (अभ्यर्थी द्वारा प्रमाणित) आवश्यक रूप से प्राप्त कर ली जावें। जिसकी प्रतियां कार्यग्रहण रिपोर्ट के साथ निदेशालय को शीघ्र प्रेषित करें तथा मृतक आश्रित प्रार्थी को नियुक्ति आदेश अपने स्थानीय जिला कलक्टर के माध्यम से रोजगार मेले(दिवस) में सुपुर्दगी हेतु भिजवाने का श्रम करावें।

3. श्री अमित शर्मा पुत्र स्व. श्रीमती शुभाश्री शर्मा, मकान नं. 576, शार्दुल सिंह की नाल, गणगौरी बाजार के पास, छोटी चौपड़, जयपुर निर्धारित कार्यग्रहण करने की अवधि में उक्तानुसार समस्त मूल दस्तावेजों के साथ प्रधानाचार्य, राजकीय महिला पोलिटेक्निक महाविद्यालय, जयपुर के समक्ष उपस्थिति देवें।
4. निदेशालय गोपनीय शाखा।
5. निजी पत्रावली निदेशालय/संस्थान।
6. रक्षित पत्रावली।

निदेशक, तकनीकी शिक्षा

Document certified by ANSHU KUMAR
SAHGAL <DTE_RAJ@RAJASTHAN.GOV.IN>

Digitally Signed by ANSHU
SAHGAL
Designation : Director
Date :06-09-2024 04:27:40